

40

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश
और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

अनुदानों की मांगों
(2022-23)

चालीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

चालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश
और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

अनुदानों की मांगों
(2022-23)

११ मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।
११ मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

	पृष्ठ
समिति की संरचना.....	(ii)
प्राक्कथन.....	(v)
(एक) प्रस्तावना	1
(दो) विभागों का अधिदेश	2
(तीन) मांग संख्याओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण	10
(क) 38-भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग	
(ख) 39-ब्याज भुगतान	
(ग) 40-ऋण की पुनर्दायगी	
(घ) 41-पेंशन	
(ङ) 42-राज्यों को अंतरण	
(चार) बजटीय आबंटन और अन्य मुद्दे	25

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

समिति की 23 फरवरी^{*} और 14 मार्च को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश।

* संलग्न नहीं है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी
15. श्री गोपाल शेटी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.एल.वी. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. सुश्री युग्मा मलिक - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगें (2022-23) विषयक, समिति के चालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ड के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) दिनांक 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 23 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2022

23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा

सभापति

वित्त संबंधी स्थायी समिति

**प्रतिवेदन
भाग-एक**

एक. प्रस्तावना

वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के वित्त के प्रशासन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह आर्थिक और वित्तीय विषयों से संबंधित है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केन्द्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधनों के अंतरण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य पणधारकों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के कार्यनीतिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित 13 मांगों को प्रशासित करता है:-

मांग संख्या	विभाग
30.	आर्थिक कार्य विभाग
31.	व्यय विभाग
32.	वित्तीय सेवाएं विभाग
33.	लोक उद्यम विभाग
34.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
35.	राजस्व विभाग
36.	प्रत्यक्ष कर विभाग
37.	अप्रत्यक्ष कर विभाग
38.	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
39.	विनियोग-ब्याज अदायगियां
40.	विनियोग-ऋण की पुनः अदायगी
41.	पेंशन
42.	राज्य को अंतरण

1.2 राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और प्रत्यक्ष करों से संबंधित मांग संख्या यथा 35, 36 और 37 की समिति ने 1998-99 से अलग से जांच की और प्रतिवेदित किया।

दो. आर्थिक कार्य विभाग (मांग संख्या 30), व्यय (मांग संख्या 31), वित्तीय सेवाएं (मांग संख्या 32), लोक उद्यम (मांग सं.33) एवं निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (मांग संख्या 34) का अधिदेश

आर्थिक कार्य विभाग

मांग संख्या 30

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार और मॉनिटर करता है। इनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी वार्षिक केन्द्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना है। आर्थिक कार्य विभाग के पंद्रह मुख्य प्रभाग हैं। प्रभागों के कुछ प्रमुख कार्यों पर संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित पैराओं में प्रकाश डाला गया है:-

(1) आर्थिक प्रभाग

2.2 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और वैदेशिक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखता है और कृषि उद्योग तथा अर्थव्यवस्था में अवसंरचना क्षेत्र समेत वृहद्-प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है। अपने नियमित कार्यक्रमलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केंद्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पूर्व संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत की जाती है।

2.3 आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। इसमें हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करे और इसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखे। इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रभाग पहली और तीसरी तिमाही की समाप्ति पर एक वृहत्-आर्थिक पूर्वपीठिका विवरण तैयार करता है और तिमाही प्राप्तियों और व्यय की पुनरीक्षा में अंतर्विष्ट करने के लिए इसे बजट प्रभाग को उपलब्ध कराता है।

2.4 आर्थिक प्रभाग केंद्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद के माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(2) बजट प्रभाग

2.5 बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट, अनुदानों की पूरक मांगे और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केंद्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा लघु बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों को भी देखता है। कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ निधि से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

(3) वित्तीय बाजार प्रभाग

2.6 नीतिगत घटनाक्रम

(क) प्राथमिक बाजार अनुभाग

निवेशक हितैषी प्रतिभूति बाजार के विकास और सुदृढीकरण के लिए सरकार विनियामक के परामर्श से अनेक कायापलट करने वाले कदम उठाती रही है

(ख) द्वितीयक बाजार अनुभाग

एक स्टाम्प शुल्क सुधार-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन

(ग) पण्य व्युत्पन्न अनुभाग

एक एकीकृत एक्सचेंज

2.7 मध्यवर्तियों/ब्रोकरों के स्तर पर, वस्तु व्युत्पन्न बाजार का इक्विटी बाजार के साथ एकीकरण करने की अनुमति देने के बाद, अक्टूबर, 2018 से एक्सचेंजों के स्तर पर एकीकरण की व्यवस्था की गई है। बीएसई ने अभी तक सोना, चांदी, कच्चे तेल, तांबा, ग्वार गम, ग्वार बीज और कपास के लिए वस्तु व्युत्पन्न संविदा देना शुरू कर दिया है और एनएसई ने सोना, चांदी और कच्चे तेल के लिए संविदा देना शुरू कर दिया है।

(4) वित्तीय स्थिरता एवं साइबर सुरक्षा

2.8 वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए तंत्र के सुदृढीकरण और सांस्थानीकरण, अंतर-विनियामक समन्वयन का संवर्धन करने और वित्तीय स्थायित्व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय निकाय-वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद -(एफएसडीसी) का दिसम्बर, 2010 में

गठन किया। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। इसके सदस्यों में आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रधान अधिकारी और भारत सरकार के चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, तारीख 23 मई, 2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा, एफएसडीसी की सदस्यता में विस्तार किया गया है और (i) आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री; (ii) सचिव, राजस्व विभाग (डीओआर); तथा (iii) सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी शामिल किया गया है।

(5) वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग

2.9 वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्लेखन करने के लिए 24 मार्च, 2011 को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया गया था। इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 मार्च, 2013 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं: खंड-I शीर्षक "विश्लेषण और संस्तुतियां" तथा खंड-II-मसौदा भारतीय वित्त संहिता (आईएफसी) समावेशित शीर्षक "मसौदा-विधि"। आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बेहतर अभिशासन और उत्तरदायित्व के लिए जहां कहीं आवश्यक हो मौजूदा विनियामक एजेंसियों की पुनर्संरचना करके और नई एजेंसियों का सृजन करके, वित्तीय क्षेत्र के लिए गैर-क्षेत्रीय, सिद्धान्त-आधारित विधायी संरचना की संस्तुति की थी।

(6) अवसंरचनागत नीति और वित्तीय प्रभाग

2.10 इस प्रभाग में निम्नलिखित इकाइयां हैं अवसंरचना वित्त (इन्फ्रा-फिन), अवसंरचना नीति और कार्यक्रम (आईसीसी), ऊर्जा क्षेत्र नीति और कार्यक्रम (ईएसपीपी) और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), भारत में विधि का शासन। इसके अलावा, आर्थिक अपराध के ऐसे कई मामले हैं जिनमें बैंक ऋण का भुगतान नहीं करना शामिल है जिससे भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और दयनीय हो गई है। इस समस्या की गंभीरता से निपटने में पूर्व-विद्यमान सिविल और अपराधिक उपबंध अपर्याप्त हैं।

(7) निवेश प्रभाग

2.11 'विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड' के समापन और समन्वय संबंधी कार्य उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को स्थानांतरित किए जाने से लेकर एफडीआई नीति संबंधी स्पष्टीकरणों और उनसे संबंधित मामलों, आर्थिक कार्य विभाग को सौंपे गए "अन्य वित्तीय सेवाएं क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में, के अतिरिक्त, विदेशी निवेश नीतियों के संबंध में नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए इस अनुभाग के कार्य का आकार छोटा कर दिया गया है। मूल रूप से, यह अनुभाग विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों पर डीपीआईआईटी के साथ समन्वय करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के मुताबिक एफडीआई नीति में किसी संशोधन के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव भी देता है। यह एफडीआई नीति के संदर्भ में भारत में निवेश संबंधी माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी सुझाता है। यह अनुभाग एफडीआई संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करते समय वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेवी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, आदि से जानकारी भी लेता है।

(8) प्रशासन प्रभाग

2.12 प्रशासन प्रभाग कार्मिक और कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, सहायता अनुदान, सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन अनुसूची, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति आदि हेतु उत्तरदायी है।

(9) करेंसी एवं सिक्का प्रभाग करेंसी अनुभाग

2.13 करेंसी नोटों/बैंक नोटों के डिजाइन, रूप और सामग्री से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दे और मामले जिसमें सुरक्षा विशेषताएं, करेंसी नोटों की छपाई की उत्पादन योजना और अन्य सुरक्षा दस्तावेज शामिल हैं। अन्य में करेंसी से संबंधित कानून, बैंक नोट उत्पादन वस्तुओं का स्वदेशीकरण, बैंक नोटों की छपाई की सामग्री की आपूर्ति के संबंध में वितरण/शिकायत और अन्य सुरक्षा उत्पाद, विस्तार प्रेस का उन्नयन और आधुनिकीकरण, पेपर मिल्स, इंक फैक्ट्री, डाक टिकट राजस्व स्टाम्प, एनजेएसपी, पासपोर्ट बैंक नोट्स और डाक टिकटों, सीडब्ल्यूबीएन/सुरक्षा कागज और करेंसी सम्मेलन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में मुद्रा की निर्वाह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में सचिव (आ.का.) और सदस्य के रूप में सचिव (डीएफएस) और डिप्टी गवर्नर (आर.बी.आई.) को मिलाकर एक कार्य बल समिति का गठन 14 अप्रैल, 2018 को किया गया था।

(10) बीसी और एफएस प्रभाग

2.14 संयुक्त राष्ट्र उप-प्रभाग बीसी और एफएस प्रभाग के अंतर्गत आता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), और सस्टेनेबल फाइनेंस के अलावा संयुक्त राष्ट्र के समन्वय संबंधी कार्य को देखता है। संयुक्त राष्ट्र उपप्रभाग से इन संस्थाओं के प्रबंधन और शासन के मामलों में कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

व्यय विभाग
मांग संख्या 31

2.15 व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग वित्त आयोग और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अभ्युक्तियों की मॉनीटरिंग, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निर्गमों और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता भी करता है। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखना और वित्तीय नियमों/विनियमों आदेशों का प्रशासन, प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं का संस्वीकृत-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

2.16 व्यय विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, लोक वित्त-राज्य और लोक विचा-केन्द्रीय प्रभागों, मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, महालेखानियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं। अरूण जेटली, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद, जो एक स्वायत्त निकाय है, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

वित्तीय सेवाएं विभाग

मांग संख्या 32

2.17 कार्य आवंटन नियमावली (एओबीआर) के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधार, विकास वित्त संस्थान आदि शामिल हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित कई मुख्य कार्यक्रमों/पहलों तथा सुधारों की निगरानी करता है। विभाग द्वारा इस समय चलाई जा रही मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) स्टैण्ड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमपीवीवाई) शामिल हैं। यह विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) और वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, सिडवी, एनएचबी, आईएफसीआई, एक्जिम, आईआईएफसीएल आदि को नीतिगत दिशानिर्देशों, विधायी तथा अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों में नीतिगत सहायता उपलब्ध कराता है। यह इन पीएसबी, पीएसआईसी तथा एफआई के कार्यनिष्पादन की भी निगरानी करता है और भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करने का कार्य करता है।

2.18 वित्तीय सेवाएं विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों जैसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के विधिक तथा अन्य मामलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संबंध में कुछेक विधायी मामलों के संबंध में भी कार्रवाई करता है।

2.19 उपर्युक्त नीतिगत मामलों के अलावा, यह विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों (आरबीआई, दूरडाई तथा पीएफआरडीए) तथा पीएसबी, पीएसआईसी तथा वित्तीय संस्थानों के कार्य संचालन संबंधी कुछेक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य संचालन संबंधी मामला भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर इरडाई तथा पीएफआरडीए के अध्यक्ष/सदस्य, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय- संस्थानों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ), कार्यपालक निदेशक (ईडी), अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक (सीएमडी), जैरो मुख्य कार्यपालकों को नियुक्त करना है। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

मांग सं.33 लोक उद्यम विभाग

2.20 अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर मूल्यांकन कर सके। इसके फलस्वरूप वर्ष 1965 में वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। तदुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों /विभागों का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई) के रूप में एक पूर्ण विभाग बना दिया गया। उस समय इसे उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। वर्तमान में, यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।

2.21 लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है और सीपीएसईज़ से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसईज़ में निष्पादकता के सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

2.22 सरकार के कारोबार आबंटन नियमों के अनुसार, डीपीई को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं -

1. औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित पूर्व लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित शेष कार्य।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति के मामलों का समन्वयन।
3. समझौता ज्ञापन प्रणाली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी से संबंधित मामले।
5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत केन्द्रीय सरकारी लोक उपक्रमों में कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण: देना और पुनर्वास करना।
6. सीपीएसईज़ में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा।
7. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की निष्पादकता में सुधार करने के लिए उद्दिष्ट उपाय और लोक उद्यमों की अन्य क्षमता निर्माण पहलें।
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार, पुनर्गठन या उन्हें बंद करने के लिए तंत्र सहित इस संबंध में सलाह देना।
9. लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
10. लोक उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले।
11. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को 'रत्न' का दर्जा दिए जाने सहित उनका श्रेणीकरण।
12. लोक उद्यमों का सर्वेक्षण।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

मांग संख्या 34

2.23 विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 06 सितम्बर, 2001 से इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। 27 मई, 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

2.24 दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग(दीपम) कर दिया गया है।

एक. कृत्य

2.25 मौजूदा कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार विभाग हेतु शासनादेश इस प्रकार है:-

(1) (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी नियोजन या किसी अन्य पद्धति माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित मामले।

टिप्पणी: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर जहां आवश्यक हो, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) सामरिक विनिवेश सहित विनिवेश के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

(3) विनिवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर(रों) से संबंधित सभी मामले।

(4) (क) इक्विटी में सरकारी निवेश के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निर्णय लेना जैसे कि पूंजी पुनर्गठन बोनस, लाभांश, सरकारी इक्विटी का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दे।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय पुनर्गठन के मामलों में तथा पूंजी बाजारों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना।

(5) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) से संबंधित विषय।

तीन. माँग सं. 38, 39, 40, 41 तथा 42 के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध

माँग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

भारत के संविधान में विधायिका के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के निमित्त देश के लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अधिदेशित किया गया है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईए एंड एडी) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण और लेखांकन अधिदेश को कार्यान्वित करता है। इस विभाग के अधीन 95 लेखापरीक्षा कार्यालय; 32 लेखा एवं हकदारी (ले एवं हक) कार्यालय तथा 13 प्रशिक्षण संस्थान है जिनमें 43162 कर्मचारी कार्यरत हैं। लेखापरीक्षा कार्यालयों को संघ/राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करने तथा राज्य सरकारों के जीपीएफ और पेंशन तथा संबद्ध लेखा तथा हकदारियों को अधिकृत करने का कार्य भी सौंपा गया है। संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के 75 प्रतिशत स्टाफ को और सिविल लेखा स्टाफ के 05 प्रतिशत स्टाफ को दौरे पर रहना पड़ता है।

3.2 वर्ष 2018-19 से वास्तविक व्यय के साथ-साथ बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों में अनुमोदित प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण।

अनुदान सं. 38 – भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

वर्ष	बजट अनुमान (सकल)	संशोधित अनुमान (सकल)	(राशि करोड़ रु. में)	
			बचतों का अभ्यर्पण	व्यय
2022-23	5976.56	-	-	-
2021-22	5434.92	5442.16	-	-
2020-21	5433.28	5086.62	365.72	5043.15
2019-20	5025.91	5118.02	9.48	5108.36
2018-19	4630.12	4851.56	5.45	4812.26

संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 का ब्यौरा।

3.3 वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अनुमोदित बजट अनुमानों की स्थिति इस प्रकार है:-

भाग - एक

3.4 (1) मुख्य शीर्ष: 2016 – लेखापरीक्षा

(हजार रुपये में)

राजस्व विभाग				
वर्ष	पारित	प्रभारित	योग	वृद्धि का प्रतिशत
2022-23	57474900	2290700	59765600	10.47%
2021-22	52099700	2000000	54099700	-0.10%
2020-21	52288200	1864600	54152800	8.09%
2019-20	48322200	1776900	50099100	8.58%
2018-19	44535900	1605300	46141200	

कुल अनुदान स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

(2) मुख्य शीर्ष: 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय

(हजार रुपये में)

वर्ष	दत्तमत	भारित	योग	वृद्धि का प्रतिशत
2022-23	150000	-	150000	7.14%
2021-22*	140000	-	140000	55.55%
2020-21	90000	-	90000	12.50%
2019-20	80000	-	80000	-
2018-19	80000	-	80000	-

* वर्ष 2021-22 में वृद्धि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालय भवनों के प्रमुख नवीनीकरण कार्यों के प्रावधान के कारण हुई है।

(3) मुख्य शीर्ष: 4216 – आवास पर पूंजी परिव्यय

(हजार रुपये में)

वर्ष	दत्तमत	भारित	योग	वृद्धि का प्रतिशत
2022-23#	90000	-	90000	-78.02
2021-22	109500	-	409500	355.00
2020-21*	90000	-	90000	12.50%
2019-20	80000	-	80000	-
2018-19*	80000	-	80000	33.33%

* 2018-19 और 2020-21 में वृद्धि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की आवासीय कॉलोनियों में विभिन्न सुविधाओं के प्रावधान के कारण हुई है। 2021-22 में वृद्धि 'एनबीसीसी की सरोजिनी नगर पुनर्विकास परियोजना में आवासीय फ्लैट' की खरीद के प्रावधान के कारण है।

प्रावधान में कमी वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित मांग में कमी के कारण हुई है।

मांग संख्या 39

ब्याज भुगतान

3.5 विनियोग-ब्याज भुगतान में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) (ग) के संदर्भ में "भारत की समेकित निधि" (सीएफआई) पर 'भारित' है। विनियोग में केंद्र सरकारों के आंतरिक तथा विदेशी, दोनों ऋण बाध्यताओं पर ऋण शोधन/छूट प्रभारों की व्यवस्था है। इसमें भविष्य निधियों जैसे सार्वजनिक खातों पर देय ब्याज के प्रावधान, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, मूल्यहास तथा रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों के अलावा सरकार के पास विशेष जमा राशियां, केंद्र सरकार की ऋण और अन्य देनदारियों के प्रबंधन के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

3.6 वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (सकल और निवल आधार पर) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं:

तालिका: विनियोग संख्या 37-ब्याज भुगतान						
(करोड़ रुपये में)						
वर्ष	बजट अनुमान	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	संशोधित अनुमान	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
सकल आधार पर						
2019-20	673470.60	13.99	663297.18	10.55	655372.01	10.04
2020-21	733203.16	8.87	732987.16	10.51	720985.20	10.01
2021-22	847195.79	15.55	837186.70	14.22		
2022-23	970003.67	14.50				
निवल आधार पर						
2019-20	660470.60	14.71	625105.2	8.56	612070.02	5.05
2020-21	708203.16	7.23	692900.0	10.85	679868.58	11.08
2021-22	809701.32	14.33	813791.0	17.45		
2022-23	940651.02	16.17				

3.7 विनियोग-ब्याज भुगतान में केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के बीच अल्पकालिक असंतुलन को पूरा करने के लिए आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम/ओडी पर ब्याज की अदायगी, नकद प्रबंधन हंडियों (सीएमबी), 14 दिवसीय मध्यावधिक राजकोषीय हंडियों (आईटीबी) पर छूट प्रभार, नीलामी राजकोषीय हंडियों (एटीबी) का प्रावधान शामिल हैं।

3.8 सं.अ. 2021-22 में, आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में कटौती किए जाने से कम होती आय के कारण आवश्यकता में काफी कमी आई है। 2022-23 में, मुख्य रूप से सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज तथा किस्त की उच्च प्राप्तियों के कारण अपेक्षाकृत कम प्रावधान (निवल आधार पर) है तथा सकल प्रावधान के आधार पर बजट अनुमान प्रावधान की तुलना में सीमांत भिन्नता है।

मांग संख्या 40
ऋण की पुनर्दायगी

3.9 इस विनियोग 'ऋण की पुनर्दायगी' में केंद्रीय सरकार द्वारा जुटाए गए ऋण तथा अलग-अलग परिपक्वता अवधि की राजकोषीय हंडियों के उन्मोचन, नकद प्रबंधन हंडियों, अर्थोपाय अग्रिमों आदि के अनुसूचीबद्ध पुनर्भुगतानों के उपबंध शामिल हैं। यह विनियोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (ग) के संदर्भ में भारत के समेकित निधि पर 'भारित' है।

3.10 वर्ष में राजकोषीय घाटा पुनर्दायगी तथा नकदी के कम आहरण को घटाकर विभिन्न स्रोतों से उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा व्यवस्था में, पुनर्दायगी संबंधी बाध्यताओं को नए उधार से पूरा किया जाता है। अनुदान की मांग संख्या 40-विनियोग- 'ऋण की पुनर्दायगी' का विश्लेषण अर्थात् 2017-18 से 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्षवार वृद्धि/कमी का प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुमान निम्नानुसार है:

सारणी: विनियोग संख्या 40 - ऋणों की पुनर्दायगी						
						(करोड़ रुपये में)
वर्ष	बजट अनुमान	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	संशोधित अनुमान	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वास्तविक	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
मुख्य शीर्ष -6001-आंतरिक ऋण						
2019-20	5947824.09	-1.78	6312279.00	2.47	6292657.87	4.28
2020-21	6853533.56	15.23	6446475.92	2.13	6149919.96	-2.27
2021-22	6903225.48	0.73	6026553.64	-6.51	-	-
2022-23	7034456.86	1.90	-	-	-	-
मुख्य शीर्ष -6002-विदेशी ऋण						
2019-20	35363.00	20.06	34110.00	8.84	33890.91	10.25
2020-21	37388.00	5.73	35234.00	3.30	34715.36	2.43
2021-22	40926.00	9.46	36024.10	2.24	-	-
2022-23	40610.30	-0.77	-	-	-	-

3.11 बाह्य ऋण के संबंध में ब.अ. 2021-22 की तुलना में सं.अ. 2021-22 में निवल गिरावट हुई है जिसका मुख्य कारण डब्ल्यूएमए तथा ओडी का कम उपयोग तथा मध्यवर्ती राजकोषीय हंडियों (आईटीबी) में राज्य सरकार द्वारा कम निवेश का परिणामी प्रभाव है।

3.12 आंतरिक ऋण के लिए सं.अ. 2021-22 प्रावधान पुनर्दायगी के पुनर्निर्धारण के कारण कम है। मुख्य रूप से निर्धारित पुनर्दायगी के कारण सं.अ. 2021-22 में 36,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सं.अ. 2021-22 के दौरान बजट अनुमान 2022-23 प्रावधान 4586 करोड़ रुपये से अधिक रहा।

3.13 इस विनियोग में अर्थोपाय अग्रिमों, आरबीआई से जमा रकम से अधिक की निकासी सहित नकद प्रबंधन फंडियों की उन्मुक्ति के लिए प्रावधान शामिल हैं। ये अल्पावधिक निधियां हैं जो मुख्य रूप से सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच वर्ष के भीतर उत्पन्न असंतुलन को पूरा करने के लिए प्राप्त की गईं। 14 दिवसीय मध्यावधि राजकोषीय फंडियां (आईटीबी) राज्य सरकारों को अपने अल्पकालिक अधिशेष धन को निवेश करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों के नकदी प्रवाह और नकदी अधिशेष का सही आकलन करने में कठिनाइयों को देखते हुए, इस विनियोग के तहत निधियों की आवश्यकता का आकलन सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि इस विनियोग में किसी भी अंतर से व्यय बजट प्रभावित नहीं होता है।

मांग संख्या 41

पेंशन

3.14 अनुदान सं. 41 - पेंशन केंद्रीय नागरिक पेंशन भुगतान से संबंधित एक संयुक्त अनुदान है। बजट अनुमान विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त व्यय के अनुमानों और सीपीएओ द्वारा निर्धारित किए गए व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

अनुदान सं. 41 - पेंशन

(पिछले तीन वर्षों में शीर्षों में प्रतिशत भिन्नता)

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रमुख शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान पिछला) (वर्ष)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी (-) (कॉलम 4-6)	प्रतिशत वृद्धि कॉलम 7x100 कॉलम 6
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-20	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	49510.50	51510.50	50094.19	47378.09	(+)4132.41	(+)8.72
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	54.50	54.50	38.25	51.91	(+)2.59	(+)4.98
	कुल	49565.00	51565.00	50132.44	47430.00	(+)4135.00	(+)8.71
2020-21	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	62124.90	63106.48	62780.47	51510.50	(+)11595.98	(+)22.51
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44.45	44.45	39.75	54.50	(-)10.05	(-)18.44
	कुल	62169.35	63150.93	62820.22	51565.00	(+)11585.93	(+)22.46
2021-22	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	56828.14	63960.14	49980.21	63106.48	(+)853.66	(+)1.35
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	44.98	44.98	37.31	44.45	(+)0.53	(+)1.19
	कुल	56873.12	64005.12	50017.52	63150.93	(+)854.19	(+)1.35

				2021 तक			
2022-23	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	66790.61	-	-	-	-	-
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50.20	-	-	-	-	-
	कुल	66840.81	-	-	-	-	-

3.15 पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों में भिन्नता के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

- महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होना।

तारीख जिससे देय है	महंगाई भत्ता दर
01.01.2019	12%
01.07.2019	17%
01.07.2021	31%

- सरकार के अनुसार डीए दरों में कल्पित वृद्धि के कारण 01.01.2020 को या उसके बाद और 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी के एवज में ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना के लिए भारत सरकार का दिनांक 07.09.2021 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(5)/ई.वी./2020 निम्नानुसार है-

अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	गणना के उद्देश्य से महंगाई भत्ते की कल्पित दर (डीए)
01.01.2020 से 30.06.2020 तक	मूल वेतन का 21%
01.07.2020 से 31.12.2020 तक	मूल वेतन का 24%
01.01.2021 से 30.06.2021 तक	मूल वेतन का 28%

- पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होना। (प्रत्येक वर्ष लगभग 40,000 नए पेंशनभोगी जुड़ रहे हैं)
- 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन में वृद्धि होना।

- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) में सरकारी अंशदान 01.04.2019 से 10% से बढ़कर 14% होना।

(करोड रुपए में)

वित्त वर्ष	डीसीपीएसके तहत व्यय
2019-20	5857.35
2020-21	6446.58
2021-22 (दिसंबर, 2021 तक)	5535.91

मांग संख्या 42

राज्यों को अंतरण

लोक वित्त राज्य प्रभाग

3.16 व्यय विभाग का राज्य वित्त (लोक वित्त-राज्य) प्रभाग, राज्य सरकार के वित्त से संबंधित मामले देखता है जिसमें राज्यों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ऋण हेतु अनुमति जारी किया जाना, ऋण राहत उपाय (वित्त आयोगों द्वारा यथासंस्तुत), विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान एवं ऋण भाग), राज्यों को विशेष सहायता जारी किया जाना, वित्त आयोगों की सिफारिश पर धनराशि जारी किया जाना और मांग संख्या 42 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत सहायता का जारी किया जाना शामिल है।

3.17 वर्ष 2014-15 तक योजना वित्त-राज्य प्रभाग, योजनागत और गैर-योजनागत, दोनों के तहत निधियां जारी कर रहा था। योजना अनुदानों में "ब्लॉक अनुदान" समाविष्ट हैं, जिनमें सामान्य केन्द्रीय सहायता, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम (राज्य घटक), विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता आदि सम्मिलित हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अधिनिर्णय अवधि 2010-15 के लिए यथासंस्तुत गैर-योजना अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2015-16 से वित्त आयोग अनुदान, अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर जारी किए जा रहे थे। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 और आगे 2021-26 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आते हैं और प्रभारित व्यय हैं।

3.18 पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों की राजस्व व्यय आवश्यकता का विस्तृत आकलन करने के बाद केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में कर अंतरण 41% करने की सिफारिश की है।

3.19 बजट अनुमान 2022-23 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा संशोधित अनुमान 2021-22 में 7,44,784.62 करोड़ रुपए की तुलना में 8,16,649.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान 71,864.85 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, बजट अनुमान 2020-21 में राज्य के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान, 67,015.00 करोड़ रुपए का स्थानीय निकाय अनुदान (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय) और राज्य आपदा मोचन कोष में वृद्धि के लिए 22,184.00 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान किया गया है।

3.20 अनुदान के रूप में, राज्यों को अंतरण के लिए मांग सं. 42 में 2021-23 (बजट अनुमान) में अनुमानित राशि 1,92,108.00 करोड़ रुपए है।

3.21 इस अवधि (2019-20 से 2022-23) के लिए मांग संख्या 42 के तहत प्रावधानों और निर्गम का विवरण विवरण संख्या 1 (क) और (ख) में दिया गया है।

विवरण सं. 1(क)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक वित्त-राज्यों की मांग सं.40 के तहत योजनाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि तथा 2022-23 के बजट अनुमान के दौरान योजना-वार ब.अ., सं.अ. और वास्तविक रिलीज

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम										ब.अ. 2022-23	
		2019-20			2020-21			2021-22				कमी/ अधिकता, यदि कोई हो, के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक रिलीज	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक रिलीज	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक रिलीज (20.01.21 तक)		
1	विशेष सहायता	15000.00	4000.00	1623.70	15000.00	3000.00	1996.16	15000.00	5000.00	1051.00	विशेष सहायता एक आवश्यकता आधारित सहायता है जो मांग के अनुसार राज्यों को प्रदान की जाती है। प्राक्कलन स्तर पर इस शीर्ष के तहत आवंटन में 10,000.00 करोड़ रुपए की कमी की गई थी।	15000

2	संविधान के भाग IX और IXक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान**	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	संविधान के भाग IX और IXक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान एक नई बजट लाइन है जो उन सभी क्षेत्रों की सहायता के लिए होगी जिन्हें चौदहवें वित्त आयोग द्वारा शामिल नहीं किया गया है चाहे ये क्षेत्र छठी अनुसूची में शामिल किए जा रहे हों अथवा नहीं। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से बंद कर दी गई है	0
3	बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ऋण और अनुदान)	24223.28	28000.00	27369.81	29000.00	34525.00	30195.05	49750.00	31165.00	20924.85	बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए सीएएए नोडल एजेंसी है। इस सहायता को जारी करना दाता एजेंसियों द्वारा ऋण राशि के संवितरण पर निर्भर करता है। इसलिए इस शीर्ष के तहत बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर अतिरिक्त राशि मांगी गई थी।	36002
4	कोविड-19 टीकाकरण के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	39000.00	35000.00	यह कोविड-19 टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष-2021-2022 से शुरू की गई एक नई	5000

विवरण सं. 1(ख)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक वित्त-राज्यों की मांग सं.40 के तहत वित्त आयोग अनुदानों के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि तथा 2022-23के बजट अनुमान के दौरान योजना-वार ब.अ., सं.अ. और वास्तविक रिलीज

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजनाएं	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.01.22 तक)	ब.अ.
क.1	अंतरण पश्चात् घाटा अनुदान	34206.00	28313.50	28313.50	30000.00	74340.00	74340.00	11845.20	11845.20	98709.99	86201.00
2	राज्य आपदा राहत कोष के लिए सहायता अनुदान	10343.85	10937.63	10937.63	20000.00	22262.43	22262.43	22184.00	17747.20	17747.20	18635.20
3.	राज्य आपदा शमन कोष के लिए सहायता अनुदान	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4436.80	0	4658.8
4	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान										
4(i)	ग्रामीण निकाय	52557.60	58615.66	59360.96	69924.80	60750	60750	44901.00	42623.00	28956.06	46513.00
4(ii)	शहरी निकाय	23358.77	25843.09	25097.77	30000.00	25000	26710.07	22114.00	14614.00	8017.73	22908.00
5	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	13192.00	13192.00	12251.82	13192.00
	कुल	120466.22	123709.88	123709.86	149924.80	182352.43	184062.50	220843.00	211065.00	165682.80	192108.00
ख.	एनडीआरएफ	10000.00	20000.00	18888.50	25000.00	10000.00	8257.11	12390.77	9000.00	5134.92	10408
ग.	एनडीएमएफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.15	0.00	2602.00

											बजट लाइन है।	
5	जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में राज्यों को बैक टू बैक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	110208.00	110208.00	0.01	159000.00	159000.00	यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी की कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए वित्त वर्ष 2020-2021 से शुरू की गई नई बजट लाइन है।	0.01
6	पूँजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	11830.29	10000.00	15000.00	5191.86	यह वित्त वर्ष 2020-2021 से शुरू की गई नई बजट लाइन है, जिसमें राज्यों को पूँजीगत व्यय के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की गई है।	100000
	कुल	39723.28	32500.00	29493.51	44000.00	159733.00	154229.50	109750.01	249165.00	221167.71	0.00	156002.01

चार. बजटीय आवंटन और अन्य मुद्दे

(क) मांग संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	(करोड़ रुपए में) वास्तविक आंकड़े
2019-20	20420.43	28582.62	16203.68
2020-21	51658.96	38645.88	26855.69
2021-22	99549.53	55168.83	
2022-23	19926.80		

बजट अनुमान 2021-22 से सं.अ. चरण पर 44380.70 करोड़ रुपये की भारी कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, अर्थात् 99549.53 करोड़ रुपये से 2021-22 को संशोधित करने के लिए 55168.83 करोड़ रुपये, सचिव डीईए ने समिति की बैठक के दौरान 23.02.2022 निम्नलिखित बताया:-

"मुख्य अंतर दो प्रावधानों के कारण उत्पन्न हो रहा है, एक, 2021-22 के बजट प्रावधान में समेकित निधि से आकस्मिक निधि में हस्तांतरण के लिए 29,500 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। आकस्मिक निधि के आकार को 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए यह एक बार की गतिविधि थी। 2021-22 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों की जरूरतों की मांगों के आधार पर बुनियादी ढांचे के प्रावधान पर एक बड़ा प्रावधान शामिल था। 44,714.64 करोड़ रुपये के उस प्रावधान में से लगभग 29,000 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अन्य मंत्रालयों को वर्ष के लिए उनके वास्तविक व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। अगले वर्ष, समान प्रावधान नहीं लिया गया है। आवंटन सीधे तौर पर मंत्रालयों की मांगों के लिए किया गया है।"

4.2 उत्तरों में निम्नवत् पूरक उत्तर दिए:

"इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि संशोधित अनुमान 2021-22 में बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में गिरावट मुख्य रूप से (ब.अ. 2021-22 में 44714.64 करोड़ रुपये है) के "अवसंरचना पाइपलाइन के लिए समर्थन" के कारण हुई है। यह वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगति दिखाने वाले विभिन्न विभागों की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधियां की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीईए की मांगों में किया गया एक केंद्रीकृत प्रावधान था। तदनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके पूंजीगत व्यय के उपयोग के लिए प्रावधान को पुनः आवंटित किया गया था। उदाहरण के लिए, 2021-22 के अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच में, लगभग ₹29 हजार करोड़ की राशि मंत्रालयों/ विभागों अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि में पुनः विनियोजित की गई है। अपेक्षित है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।"

4.3 विभाग ने यह भी बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग की मांग के तहत 2021-22 (14.02.2022 तक) के लिए वास्तविक व्यय ₹40149.32 करोड़ है।

4.4 इसके अलावा, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 19926.80 करोड़ रुपये के आवंटन के औचित्य के बारे में निम्नवत् बताया:-

1. आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मांग संख्या 30 में कुल बजट प्रावधान ₹19926.80 करोड़ (सकल) है। इसमें राजस्व व्यय के लिए ₹6736.88 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए ₹13189.92 करोड़ शामिल हैं। बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में ₹79622.73 करोड़ (सकल) की गिरावट हुई है।

2. बजट प्रावधान में जी-20 सचिवालय, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई), सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट), फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी) और भारतीय दूतावास वाशिंगटन, टोक्यो और बीजिंग के आर्थिक विंग के स्थापना व्यय सहित आर्थिक कार्य विभाग के लिए ₹248.39 करोड़ का सचिवालय/स्थापना व्यय शामिल है।

3. व्यय के अन्य महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:-

(एक). मांग संख्या 30-आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए ₹6803.01 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए ₹5003.01 करोड़ का आवंटन, व्यवहार्यता अंतराल निधियन के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी परियोजनाओं की सहायता के लिए ₹500.00 करोड़ और भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत ऋण व्यवस्था के लिए ₹ 1300.00 करोड़ का आवंटन शामिल है।

(दो). भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद ₹1518.00 करोड़ ।

(तीन). सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) और चयनात्मक पूंजी वृद्धि (एससीआई); अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई); एशियाई विकास बैंक की सदस्यता; अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड फंड की सदस्यता; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के भुगतान के लिए ₹1740.69 करोड़ का

प्रावधान किया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के लिए भारत की सदस्यता का प्रावधान शामिल है।

(चार) अन्य व्ययों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों अर्थात् संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), एशियाई विकास बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), एड्स के लिए वैश्विक कोष, टीबी और मलेरिया (जीएफएटीएम), वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक संधि (जीएवीआई), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (एसजीबीएस) 2015, सॉवरेन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 (एसजीएमएस), किफायती और मध्यम आय आवास (एसडब्ल्यूएमआईएच) के लिए विशेष विंडो और पूंजी निवेश के लिए एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म इत्यादि में योगदान शामिल है।

4.5 समिति ने एनआईआईएफ की स्थिति, इसमें निवेश की गई पूंजी की राशि और गुणक प्रभाव के संदर्भ में इसके प्रभाव के बारे में भी विचार-विमर्श किया, यह देखते हुए कि बुनियादी ढांचे और विकास पूंजी के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करने में सक्षम होना कितना महत्वपूर्ण है।

4.6 समिति ने बजट अनुमानों में भारी विसंगतियों और मुख्य शीर्ष 5465- सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश में वास्तविक व्यय पर भी चर्चा की। शीर्ष के तहत प्रावधान में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ), किफायती और मध्यम आय आवास (एसडब्ल्यूएमआईएच) के लिए विशेष विंडो, एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश और हस्तांतरण शामिल है। राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ)। 2019-20 के लिए बजट अनुमान 2247.01 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय रुपये था। 4041.34 करोड़ जबकि ब.अ. वित्त वर्ष 2020-21 में 13500.03 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय 7482.72 करोड़ रुपये था। 31.12.2021 तक वास्तविक व्यय 1219.43 करोड़ रुपये है, जबकि बजटीय आवंटन 10750.01 करोड़ रुपये है।

बी-आउटपुट आउटपुट बजट

4.7 समिति की बैठक के दौरान इस बात पर विचार किया गया कि आउटपुट परिणामी बजट में पिछले दो या अधिक वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्धि के आंकड़े के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के आउटपुट और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने और प्राप्त किए गए उद्देश्यों की स्पष्ट तस्वीर के लिए होना चाहिए।

4.8 इस मुद्दे पर वित्त सचिव ने निम्न प्रत्युत्तर दिया:

“परिणाम और आउटपुट बजट पर ध्यान दिया जाता है। कार्य प्रगति पर है और इसमें अधूरी जानकारी है। हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।”

ग. मांग संख्या 32: वित्तीय सेवाएं विभाग

4.9 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उनके बजट परिव्यय के बारे में पूछे जाने पर, सचिव डीएफएस ने प्रस्तुत किया:

“विभाग द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में शुद्ध आधार पर मांगा गया कुल शुद्ध बजट रु। 5,313.74 करोड़। इसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 79 प्रतिशत है। यह इस साल के लगभग 35,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के खिलाफ है। तीन व्यापक बाल्टियाँ हैं जिनमें विभाग के बजट को विभाजित किया जा सकता है। पहला विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के पूंजीकरण और पुनर्पूँजीकरण से संबंधित है। इस मद के अंतर्गत आवश्यकता इस वर्ष के 26,934 करोड़ रुपए से घटकर 3,461 करोड़ रुपए हो गई है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि एनएबीएफआईडी के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो विकास वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया है और अगले वर्ष के लिए इन फंडों की आवश्यकता नहीं है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बेहतर सॉल्वेंसी और पूंजी पर्याप्तता को देखते हुए अगले साल अन्य बैंकों और एफआई की आवश्यकताएं भी कम हैं।

दूसरा प्रमुख घटक क्रेडिट गारंटी योजनाओं से संबंधित है। इसमें आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, COVID प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, PMMY के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, स्टैंड-अप इंडिया ऋण आदि शामिल हैं। इस बकेट के तहत कुल आवश्यकता 1350 करोड़ रुपये है।

तीसरा घटक वित्तीय समावेशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं। वित्तीय समावेशन योजनाएं सदस्यता-आधारित हैं और बीमा योजनाओं के प्रचार अभियानों और पेंशन योजना, अर्थात् अटल पेंशन योजना के प्रोत्साहन के अलावा कोई प्रत्यक्ष बजटीय प्रावधान नहीं मांगा गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष बजटीय समर्थन है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियों के लिए पेंशन और ब्याज दरों की रक्षा करना है। रुपये से बढ़ोत्तरी हुई है। इस वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 388 करोड़ रुपये से 768 करोड़ रुपये इन योजनाओं के तहत अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान।”

घ. मांग संख्या 33: लोक उद्यम विभाग

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	वापस की गई राशि
2019-20	22.64	22.64	21.10	1.53
2020-21	24.15	17.84	16.15	7.99
2021-22	21.81	177.00		
2022-23	30.00			

4.10 वर्ष 2021-22 के सं.अ. अर्थात् ब.अ. 21.81 करोड़ रुपए से सं.अ. 177.00 करोड़ रुपए और तब ब.अ. 2022-23 पुनः मात्र 30 करोड़ रुपए में भरी वृद्धि के कारणों के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर, लोक उद्यम विभाग ने निम्नवत् बताया:-

“आवंटन में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से एसपीवी के प्रावधानों के कारण हुई है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में, दीपम द्वारा सरकारी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ अधिशेष भूमि के मुद्राकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि एक बार एसपीवी को मंजूरी मिलने के बाद इससे संबंधित कार्य डीपीई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्थापना व्यय समिति (सीईई) ने 07.07.2021 को अपनी बैठक में भूमि मुद्राकरण एसपीवी को पूर्ण स्वामित्व वाले सीपीएसई के रूप में 5000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और एसपीवी की स्थापना, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से इक्विटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये की अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी के वित्त पोषण किए जाने की सिफारिश की है। दीपम ने कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया है। तदनुसार, एसपीवी में इक्विटी निवेश के रूप में 150 करोड़ रुपये की राशि और एसपीवी को शामिल करने के संबंध में व्यय के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान संशोधित अनुमान 2021-22 में किया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान (अर्थात् 30 करोड़ रुपये) में, वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान (अर्थात् 21.81 करोड़ रुपये) की तुलना में अतिरिक्त व्यय 8.19 करोड़ रुपये है। इसमें मुख्य रूप से एसपीवी के लिए व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए 3.35 करोड़ रुपये, वेतन के लिए 2.38 करोड़ रुपये, कार्यालय बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए छोटे काम हेतु 2.0 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल हैं। ”

ड. पीएमएमवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता

मांग संख्या: 32
विभाग: वित्तीय सेवाएं
प्रमुख प्रमुख; 3465
लघु शीर्ष: 01
विस्तृत शीर्ष: 190.08.03.31

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-20	500.00	500.00	0.00
2020 -21	500.00	500.00	0.00
2021-22	2500.00	10.00	
2022-23	100.00		

4.11 वित्तीय सेवाएं विभाग से वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए क्रमशः 500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत आवंटित राशि में इस प्रकार की अनियमितता के कारणों को स्पष्ट करें।

"एमएसएमई पर यू.के. सिन्हा समिति ने सीजीएफएमयू के अंतर्गत कॉर्पस को 3,000 करोड़ रुपए से वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, सीजीएफएमयू के कॉर्पस को 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम दिनांक 17.09.2020 को व्यय विभाग (डीओई) को भेजा गया था, जिसमें तदनन्तर वर्ष में निम्नानुसार प्रस्तावित आवंटन हेतु ईएफसी का अनुमोदन प्रार्थित था:-

वित्तीय वर्ष	निधियों का आवंटन (करोड़ रुपए में)
2019-2020	500
2020-2021	2500
2021-2022	2000
2022-2023	2000

तथापि, महामारी जनित प्रतिबंधों के कारण कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमएमवाई उधारकर्ताओं के संबंध में कतिपय कदम उठाए गए थे:

- (i) पात्र उधारकर्ताओं को 12 माह की अवधि के लिए पीएमएमवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज सहायता;

- (ii) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी उधारदात्री संस्थाओं को दिनांक 01.03.2020 तथा 31.08.2020 के बीच बकाया कार्यशील पूंजी पर ब्याज के भुगतान सहित सावधि ऋणों के सभी किस्तों के भुगतान पर छः माह के अधिस्थगन की अनुमति दी थी। यह अधिस्थगन पीएमएमवाई ऋणों पर भी लागू है;
- (iii) विशेषीकृत ऋण खातों में पात्र उधारकर्ताओं को दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 तक छः माह की अवधि के लिए बकाया चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान करके अनुग्रह सहायता प्रदान की गयी थी;
- (iv) दिनांक 23.05.2020 को शुरू की गयी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत पात्र एमएसएमई ईकाईयों, व्यवसायिक उद्यमों तथा व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा एनबीएफसी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार उनके बकाया ऋण के 20% (जिसे बढ़ाकर 30% किया गया) की सीमा तक पूर्णतः गारंटीयुक्त तथा संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) प्रदान की जाती है।
- (v) अर्थक्षम एमएसएमई संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु एमएसएमई के लिए ऋणों की एकबारगी पुनर्संरचना संबंधी आरबीआई की योजना को दिनांक 31.03.2021 तक बढ़ाया गया था।

च. विनिवेश लक्ष्य

4.12 निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) से सं.अ. 2021-22 और ब.अ. 2022-23 में विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य में बड़ी कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर बजट अनुमान 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2021-22 में 78000 करोड़ रुपये और अब वित्त वर्ष 2022-23 में रुपये का लक्ष्य 65000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने 23.02.2022 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, निम्नलिखित मौखिक अनुरोध किया:

“दूसरा सवाल खराब अनुमान के बारे में था। हम एक बड़े विनिवेश के आंकड़े का संकेत दे रहे हैं और हम साल दर साल उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं...

...इसलिए, हमने यह सीखा है कि बहुत अधिक लक्ष्य रखना और प्राप्त करने में सक्षम न होना कोई अच्छी रणनीति नहीं है।”

4.13 लिखित उत्तरों में यह बताया गया कि:-

“वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान 1,75,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सौदे संपन्न करने की व्यवहार्यता पर सावधानीपूर्वक

विचार करने के बाद बजट अनुमान क्रमशः 78,000 करोड़ रुपये और 65,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

कुल मिलाकर, मूल्य को अधिकतम करने उद्देश्य से, यह अनुभव किया गया है कि विशुद्ध रूप से राजकोषीय घाटे का निपटारा करने के लिए अवास्तविक विनिवेश लक्ष्यों को निर्धारित करना सरकार के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बाजार निर्माताओं द्वारा उच्च बजट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के विशिष्ट सौदों को आगे बढ़ाने से संभावित विनिवेश की प्रत्याशा से संभावित मूल्य अधिमान के कारण सीपीएसई शेयरों के मूल्य में गिरावट हो सकती है। यह प्रमुख सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण को प्रभावित करता है जो अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री सौदों की प्रकृति में विनिवेश सौदे से सर्वोत्तम मूल्य को भी बाधित करता है।"

4.14 इसके अलावा, समिति ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक उद्यमों की भूमि के विकास/पुनर्विकास के बारे में चर्चा की, जो बंद/विनिवेशित हो गए हैं और उनकी बेकार भूमि पर अब अतिक्रमण किया जा रहा है। आगे यह भी विचार-विमर्श किया गया कि राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाए ताकि मूल्यवान भूमि का कोई स्वामित्व या सरकार के लिए कोई मूल्य न हो।

4.15 संपत्ति मुद्रीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, दीपम ने निम्नवत् बताया:

"संपत्ति मुद्रीकरण के बारे में भी सवाल थे। इस पर, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति आयोग इस मुद्दे पर मंत्रालय स्तर पर निगरानी रखता है क्योंकि विभिन्न मंत्रालय संपत्ति मुद्रीकरण में शामिल हैं।

छ. पूंजीगत व्यय

4.16 केंद्रीय बजट (2022-23) पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, इसे बजट अनुमान 2021-22 में पूंजी आवंटन से 35% अधिक बढ़ाता है। समिति ने उन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की जिनमें पैसा खर्च करने का प्रस्ताव है, सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगी और वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के उपयोग का प्रतिशत और कितना निजी सेक्टर कैपेक्स सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के पूरक का अनुमान लगाता है।

4.17 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय	
		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत (%)
1	सड़क परिवहन और राजमार्ग	1,87,744	25%
2	रेलवे	1,37,100	18%
3	रक्षा पूंजी	1,52,370	20%
4	दूरसंचार	54,150	7%

5	पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	1,00,000	13%
6	आवास और शहरी मामले (मेट्रो)	27,341	4%
7	परमाणु ऊर्जा	14,283	2%
8	अन्य	77,258	10%
	कुल	7,50,246	100%

बजट अनुमान 2022-23 में कुल रु. 39.45 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान है। राजस्व खाते पर 31.95 लाख करोड़ रुपये और पूँजीगत खाते पर 7.50 लाख करोड़ अनुमानित है। कर प्राप्तियों पर (19.35 लाख करोड़ रुपये), गैर-कर प्राप्तियों (2.70 लाख करोड़ रुपये), विनिवेश प्राप्तियों (0.65 लाख करोड़ रुपये), उधारी और अन्य देनदारियों (16.61 लाख करोड़ रुपये) से संसाधन जुटाकर उपरोक्त व्यय को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

4.18 वर्ष 2021-22 के दौरान, कैपेक्स की उपयोगिता के बारे में यह बताया गया था:-

"बजट अनुमान 2021-22 में पूँजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रु. था। संशोधित अनुमान 2021-22 में, पूँजीगत व्यय 6.03 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जिसमें पिछली गारंटीकृत और विविध देनदारियों के निपटान के लिए एआईएचएल/एआई को पूँजी लगाना/ऋण शामिल है, 0.52 लाख करोड़ रुपये की राशि की आस्तियों द्वारा समर्थित नहीं होगा। इसलिए, इस एकमुश्त प्रावधान (0.52 लाख रु.) को छोड़कर, संशोधित अनुमान 2021-22 में वास्तविक पूँजीगत व्यय 5.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।"

4.19 निजी क्षेत्र के सरकारी अनुमान के संबंध में निम्नलिखित बताया गया था:-

"5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी (आर्थिक समीक्षा 2021-22) हासिल करने के लिए भारत को 2024-25 तक अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निवेश अवसंरचना में निजी निवेश को खोलने की कुंजी है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में पूँजीगत व्यय के लिए 7.50 लाख करोड़ रुपये अर्थात् 35% की वृद्धि का वर्धित आवंटन हुआ है। भारत सरकार कई स्रोतों से धन जुटाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। भारत सरकार ने 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की है, जिसमें से 83% सार्वजनिक वित्तपोषण के कई स्रोतों, वित्तपोषण उपकरणों, बैंक ऋण और प्रमोटर इच्छिटी के नवाचार से पूरा किया जाना है। कुल अनुमानित वित्तपोषण में से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये 2025 तक, सं.अ.आईटी और इनविट के मुद्रीकरण और संरचित वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाना है। एनआईपी, एनएमपी और पीएम-गतिशक्ति के माध्यम से अवसंरचना पर ध्यान देने के साथ, वर्धित कैपेक्स लक्ष्य, निजी निवेश वर्षों में बढ़ने की संभावना है।"

ज. राज्यों को निधियां

4.20 समिति की बैठक के दौरान, राज्यों पर निर्देशित पूंजीगत व्यय धक्का और राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव का मुद्दा उठाया गया, जिस पर वित्त सचिव ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

“पूंजीगत व्यय योजना के संबंध में यह किसी भी तरह से राज्यों के किसी भी अन्य उधार अधिकार को कम नहीं करता है। वे जिस चार प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के हकदार हैं, वह बरकरार है। यह उसका हिस्सा नहीं है। यह उससे ऊपर और ऊपर है। यह किसी भी तरह से किसी भी राज्य के मौजूदा वित्त पोषण स्रोतों में से किसी का अतिक्रमण नहीं करता है। यह किसी भी तरह से जीएसटी के लिए बैक-टू-बैक ऋण से बंधा नहीं है। यह पूरी तरह से ऑर्थोगोनल और पैसे का अलग स्रोत है। राज्यों को यह पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है। यह धनराशि व्यय विभाग की ओर से राज्यों को जारी एक आदेश द्वारा जारी की जाएगी। इसलिए, उन्हें बाजार जाने या किसी से यह पैसा जुटाने की जरूरत नहीं है। यह ब्याज मुक्त है और इसकी अवधि 50 वर्ष है...

...अन्य कारणों के अलावा, प्रत्येक राज्य विश्व बैंक, एडीबी, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में भाग लेता है। ये सभी वास्तव में केंद्र को दिए गए ऋण हैं जो केंद्र तब राज्य को उधार देता है क्योंकि बहुपक्षीय केवल संप्रभु के साथ व्यवहार करते हैं। वे इन ऋणों के लिए उप-संप्रभु संस्थाओं के साथ सौदा नहीं करते हैं। इसलिए, निकट भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं है जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति ऋणी न हो।”

4.21 समिति ने मूल्य समर्थन योजना के आवंटन में कमी के बारे में भी चर्चा की जिसका उपयोग किसानों से चावल की खरीद के लिए किया जाता है। राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में खाद्य मंत्रालय या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में राज्य सरकार को एक अनंतिम सब्सिडी और एक उन्नत सब्सिडी देना शामिल है जिसे तब रोलिंग के रूप में उपयोग किया जाता है किसानों से धान खरीदने के लिए एक तरह का फंड, इसे वापस बेचने या पीडीएस को देने के लिए, और फिर से भारत सरकार से पैसे की प्रतिपूर्ति, उस पैसे का फिर से उपयोग करें। भारत सरकार से राज्य सरकार की उधारी की समस्या का एक व्यवस्थित समाधान किसानों से खरीद की सुविधा और बिना किसी प्रतिपूर्ति के उस पर ब्याज देना राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है।

4.22 वित्त सचिव ने इस मुद्दे पर निम्नानुसार बयान दिया:

“मैंने भारतीय खाद्य निगम के विषय और भुगतान के तंत्र और देरी पर ध्यान दिया है और इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है और इसे कारगर बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं, करने के लिए मैं निश्चित रूप से इसे खाद्य सचिव को सौंप दूंगा।”

झ. रोजगार रणनीति

4.23 रोजगार और रोजगार सृजन/विकास के लिए लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर वित्त सचिव ने 23.02.2022 को समिति की बैठक के दौरान निम्नानुसार बयान दिया:

“रोजगार के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं के संदर्भ में, बजट में जो परिकल्पित किया गया है, वह यह है कि अल्पावधि में यह केंद्रीय क्षेत्र और दोनों के माध्यम से श्रम-गहन पूंजीगत व्यय की ओर एक त्वरित धक्का है। जिन राज्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है कि राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च की गई देश भर में फैली छोटी पूंजी परियोजनाओं से रोजगार को गति मिलेगी। दूसरे, नौकरियों को बचाने पर जोर दिया जा रहा है, जो पिछले साल की प्रतिक्रिया की विशेषता रही है, जो उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जीवित रखने के माध्यम से है, जो अन्यथा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत चले गए थे। तीसरा, हमने बजट में घोषणा की है - जिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का सुधार, जिसमें वास्तव में उस ट्रस्ट में पूंजी शामिल होगी और इसका उद्देश्य कोशिश करना और नकल करना है ईसीएलजीएस की सफलता यह उन मौजूदा कर्जदारों के लिए था जो महामारी से प्रभावित थे। विचार यह देखना है कि क्या इसे नए उधारकर्ताओं के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है ...

...मध्यम अवधि में, भारत को भविष्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए कई पहल की गई हैं...

...बजट में यह उल्लेख किया गया था कि इन योजनाओं से लगभग छह मिलियन रोजगार सृजित होने का अनुमान है जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तो, यह मध्यम अवधि की रणनीति का हिस्सा है।

लंबी अवधि में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। इसलिए, निर्यात को बढ़ावा देने पर एक मजबूत नज़र रणनीति का हिस्सा है और लंबे समय में बजट ने भविष्य के उभरते उद्योगों पर बहुत समय बिताया, जो वास्तव में भविष्य के रोजगार पैदा करेगा।”

ज. ऋण

4.24 समिति ने इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित उधार के बारे में पूछताछ की और एक सहजता से बहुत तेजी से कड़े चक्र में जाने के तथ्य में फैक्टरिंग के बारे में सवाल किया, वैश्विक वातावरण को अशांत किया और उधार के मॉडलिंग में वित्तीय और ऋण की गतिशीलता।

4.25 सचिव, डीईए ने इस मुद्दे पर निम्नानुसार विस्तार से बताया:

“ऋण के हिस्से में, राजकोषीय घाटा लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये, 15.07 लाख करोड़ से 16.01 लाख करोड़ था। लेकिन बाजार की उधारी अधिक प्रतीत होती है क्योंकि घाटा रुपये से अधिक है। 1,50,000 करोड़, और चुकौती अधिक है। इसलिए, यदि आप शुद्ध आधार पर देखते हैं, तो यह एक छोटी राशि से ऊपर जाता है। दूसरा, अनुमान है कि छोटी बचत, चालू वर्ष में सं.अ.

में, लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में यह लगभग 4.25 करोड़ रुपए है। यह एक धारणा है जो से चली आ रही है।"

त. बैंकिंग क्षेत्र की मजबूरी

4.26 समिति ने देश में एनपीए के अनुमानों के बारे में पूछताछ की और एनपीए को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों के लिए तुलनात्मक डेटा/पूर्व-कोविड और पोस्ट-कोविड परिदृश्य के आकलन के साथ कुछ शीर्षों पर जानकारी मांगी गई थी, जिसके लिए निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था:

"भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार बताया है:

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के बैंक			
	31-मार्च-2019	31- मार्च 2020	31- मार्च 2021	31-दिसं. 2021	31- मार्च - 2019	31- मार्च - 2020	31- मार्च - 2021	31-दिसं.- 2021
बकाया सकल एनपीए	7,39,541	6,78,317	6,16,616	5,60,378	1,80,872	2,05,848	2,02,266	1,91,273
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (%)	11.59	10.25	9.11	7.90	5.25	5.45	4.94	4.33
सकल एनपीए में कमी*	1,56,060.3	61,224.0	61,701.4	56,237.7	-55,009.6	-24,975.4	3,581.7	10,993.3
बकाया निवल एनपीए	2,84,689	2,31,551	1,97,360	1,68,985	66,895	55,632	56,269	49,221
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (%)	4.80	3.76	3.11	2.52	2.01	1.53	1.42	1.15
निवल एनपीए में कमी *	1,69,531.8	53,138.3	34,191.1	28,374.4	-3,134.8	11,262.4	-636.8	7,047.9
दबावग्रस्त अग्रिम (जीएनपीए+शेष दबावग्रस्त अग्रिम)	7,70,312	7,11,109	6,69,855	6,69,294	1,91,154	2,11,941	2,24,382	2,73,950
सकल अग्रिम की तुलना में दबावग्रस्त अग्रिम (जीएनपीए+शेष दबावग्रस्त अग्रिम) (%)	12.07	10.75	9.89	9.44	5.55	5.61	5.48	6.20
दबावग्रस्त आस्तियों में कमी *	1,71,768.4	59,202.4	41,254.0	561.7	-53,007.3	-20,787.2	-12,441.5	-49,568.0
(अप्रैल से आज तक की तिथि) के दौरान बढ़े खाते डाले जाने के कारण	1,83,202	1,75,877	1,31,894	86,090	48,614	52,633	66,863	40,449

एनपीए में कमी								
(अप्रैल से आज तक की तिथि) के दौरान बट्टे खाते डाले जाने (तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते/एयूसी) के कारण एनपीए में कमी	1,04,088	92,935	70,879	47,182	35,209	29,768	44,700	20,914
(अप्रैल से आज तक की तिथि) के दौरान उन्नयन के कारण एनपीए में कमी	33,553	20,936	16,145	38,122	15,337	21,186	15,203	42,676
पुनर्संचित अग्रिम - कुल	1,50,841	1,20,565	1,34,928	0	39,082	30,902	42,720	0
(अप्रैल से आज तक की तिथि) के दौरान एआरसी को बेचे गए ऋण	22,551	6,912	5,494	6,042	8,465	4,464	9,876	9,311

स्रोत: आरबीआई

‘*’ नकारात्मक आंकड़े सकल एनपीए/निवल एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियों में वृद्धि दर्शाते हैं
‘एआरसी को बेचे गए ऋण’ के लिए आंकड़े - वैश्विक परिचालन उपलब्ध नहीं हैं,
आंकड़े पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा सूचित किये गये अनुसार हैं

जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट से संकेत मिलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 तक 9.80 प्रतिशत हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उक्त जीएनपीए अनुपात चल रही नीतिगत कार्रवाइयों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना प्राप्त किया गया है। अतः एससीबी के जीएनपीए की वास्तविक गतिविधि इस बात पर निर्भर करेगी कि केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसी नीतिगत पहल का लाभ पात्र उधारकर्ताओं द्वारा किस हद तक उठाया जाता है, जो परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों के पुनरुद्धार को सुकर बनाता है।

सरकार द्वारा एनपीए को कम करने और वसूली के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिससे पीएसबी पिछले सात वित्तीय वर्ष में 5,49,327 करोड़ रुपये की वसूली करने में सक्षम हो पाए हैं। उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- (1) जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में लेनदार-उधारकर्ता संबंधों में मौलिक परिवर्तन करके ऋण क्रेडिट संस्कृति में परिवर्तन किया गया है, प्रवर्तकों/मालिकों से चूककर्ता कंपनी का नियंत्रण छीन लिया है और इरादतन चूककर्ता को समाधान प्रक्रिया से वंचित कर दिया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने के लिए कॉर्पोरेट देनदार से लेकर व्यक्तिगत गारंटीकर्ता को भी आईबीसी के दायरे में लाया गया है। आईबीसी के तहत, जून 2021 तक 394 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें वित्तीय लेनदारों द्वारा 2.45 लाख करोड़ रुपये वसूली जाती है।
- (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा परिसंपत्ति विवरण प्रदान न करने की स्थिति में तीन महीने के कारावास और ऋणदाता द्वारा 30 दिनों के भीतर दृष्टि बंधक संपत्ति पर कब्जे का उपबंध है।
- (3) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं और पांच वर्षों के लिए उनकी इकाई द्वारा नया उद्यम आरंभ करने पर रोक लगा दी जाती है।
- (4) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2016 के तहत इरादतन चूककर्ताओं और इरादतन चूक करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया गया है।
- (5) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान दे सके जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकाधिक वसूली की जा सके। वसूली में तेजी लाने के लिए छह नए डीआरटी भी स्थापित किए गए हैं।
- (6) सरकार द्वारा पूंजी निवेश किए जाने से पीएसबी को बाजार से पूंजी जुटाने में सहायता मिली है, पीएसबी ने दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 83.7% का उच्च प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात हासिल किया है, जिससे वे अपनी लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले इस तरह के निर्णय के कारण बाध्य किए बिना एनपीए के समाधान के संबंध में निर्णय लेने के लिए समर्थ हुए हैं।

- (7) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:
- (i) बैंकों में बड़े मूल्य की दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में चूक की रोकथाम पर ध्यान देने, वसूली व्यवस्था और समयबद्ध कार्रवाई के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन वर्टिकल्स की स्थापना की गई थी।
 - (ii) पीएसबी की बोर्ड-अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पहले आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदनों और संबद्ध करने, समूह तुलन-पत्र की संवीक्षा करने और नकदी प्रवाह, परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि और सामान्यतर जोखिम मूल्यांकन के रिंग फेंसिंग का अध्यादेश दिया गया है।
 - (iii) समस्त आंकड़ा स्रोतों के संबंध में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों का उपयोग शुरू किया गया है, इस प्रकार मिथ्या प्रस्तुती और धोखाधड़ी के कारण होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है।
 - (iv) उच्च-मूल्य वाले ऋणों के संबंध में मंजूरी देने की भूमिका से निगरानी को सख्ती से अलग किया गया है, और वित्तीय और संबंधित क्षेत्र में ज्ञान संयुक्त विशेष निगरानी एजेंसियों को 250 रुपये से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
 - (v) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समय पर बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए, पीएसबी में अद्योपांत ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

4.27 सचिव, डीएफएस ने एनपीए के मुद्दे पर निम्नलिखित कहा:

"... कुछ आंकड़े जो आरबीआई द्वारा एनपीए से संबंधित सही हैं, 31 मार्च, 2021 को 7.48 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 9.8 प्रतिशत हो गए। जबकि मैं उन आंकड़ों पर विवाद नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे पिछले साल जुलाई में आरबीआई द्वारा दिए गए अनुमान हैं, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सकल स्तर पर एनपीए वास्तव में 9.11 से कम हो गया है। 31 मार्च, 2021 को प्रतिशत से 31 दिसंबर, 2021 तक यह 7.90 प्रतिशत था।"

थ. निर्यात आयात (एक्विजि) बैंक

4.28 समिति ने एक्विजि बैंक के पर्याप्त पूंजीकरण और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त ऋण कौशल रखने की आवश्यकता पर भी विचार किया।

4.29 बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दे पर बात की गई:

"... हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, विशेष रूप से, अफ्रीका में, इनमें से कई परियोजनाओं के वित्तपोषण में। हमारे पास एक्विम बैंक के कई लोग थे। उन्हें लगता है कि वे इस प्रकार की परियोजनाओं में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कम पूंजीकृत और कम सुसज्जित हैं और हमारी कंपनियों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे उन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम हों जिनसे वे दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करते हैं।"

द. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)

4.30 समिति ने एनएबीएफआईडी के अनुमानों के बारे में पूछा की और वर्तमान मामूली निधियों के खिलाफ पर्याप्त इक्विटी पूंजी के प्रावधान के बारे में पूछताछ की, जिसके लिए सचिव, डीएफएस ने 23.02.2022 को समिति की बैठक के दौरान निम्नलिखित कहा:

"एनएबीएफआईडी का एक सवाल था। रु. 20,000 करोड़ रुपये इक्विटी सहायता के रूप में दिए गए हैं और अन्य रु। 5000 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और जैसा कि एनएबीएफआईडी पहले से ही चालू है, हमने अध्यक्ष के साथ बैठक की। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कर्ज मंजूर हो जाएगा। अगले साल के लिए हमने जो लक्ष्य रखा है वह करीब एक लाख करोड़ का है। इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।"

ध. राष्ट्रीय परिसंपत्ति विनिर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)

4.31 पिछले बजट में प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) या "बैड बैंक" की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, प्रस्तावित दोहरे ढांचे पर चिंता, 'बैड बैंक' के रोलआउट में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हो, और उपाय इसे सुधारने के लिए, निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था:

"एनएआरसीएल को सीओआर की तारीख से परिचालन शुरू करने के लिए छह महीने की अवधि के साथ 4 अक्टूबर, 2021 को आरबीआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल की दोहरी संरचना के संबंध में दिनांक 17.01.2022 को एसबीआई के अध्यक्ष के नेतृत्व में डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई थी और स्पष्ट किया गया था। एनएआरसीएल के प्रमुख के रूप में और आईडीआरसीएल को इसके एजेंट के रूप में काम करने के साथ प्रिंसिपल-एजेंट संबंध के तहत आईडीआरसीएल को सौंपे जाने वाले काम को पूरे दायरे के साथ ऋण प्रबंधन समझौता वाले मसौदे को 21 जनवरी, 2022 को आरबीआई को अग्रेषित किया गया था। आरबीआई ने 28 जनवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि उन्होंने एनएआरसीएल के प्रस्तुतीकरण को रिकॉर्ड में ले लिया है। एनएआरसीएल द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करते समय आरबीआई द्वारा सुझाई गई शर्तों के अनुपालन के स्पष्टीकरण/स्थिति से संबंधित हैं। दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से आरबीआई की पुष्टि के आधार पर, एनएआरसीएल ने, चरण 1 के तहत, दिनांक 31.3.2022 को या

उससे पहले कुल 50,335 करोड़ रुपये के 15 खातों के अधिग्रहण के लिए ब्याज की प्रारंभिक राशि जारी की है।

एनएआरसीएल को वित्त वर्ष 2021-22 में लॉन्च करने का प्रस्ताव था, और दिनांक 28.01.2022 के पत्र के माध्यम से आरबीआई की पुष्टि के आधार पर एनएआरसीएल ने चरण 1 के तहत पहचान किए गए 15 खातों के अधिग्रहण के लिए ब्याज की प्रारंभिक राशि जारी की है और वर्तमान में 14 खातों में उचित जांच चल रही है। वे 15 खातों जिनके लिए एनएआरसीएल ने रुचि की अभिव्यक्ति दी है, उनका कुल मूल्य लगभग 50335.00 करोड़ रुपये है।

वर्तमान में एनएआरसीएल द्वारा कोई बड़ी बाधा नहीं बताई गई है। कुछ मुद्दे जो सामने आए थे, उन पर सभी हितधारकों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

ग. डिजिटल अर्थव्यवस्था

4.32 केंद्रीय बजट (2022-23) में सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि डिजिटल बैंकिंग का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है, इसलिए समिति ने विवरण मांगा कि इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के बराबर ग्रामीण भारत की पहुंच कैसे होगी, जिसके लिए निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था:

75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना के संबंध में सूचना निम्नानुसार हैं:

(1) आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर पायलट कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक हैं। इस समिति में एसबीआई, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और भारतीय रिजर्व बैंक के विभागों सहित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(2) समिति की प्रारंभिक बैठक दिनांक 09.02.2022 को हुई थी। इस बैठक में हुई चर्चा के आधार पर एक कार्यदल का भी गठन किया गया है। इस कार्य समूह की बैठक दिनांक 11.02.2022 को हुई और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

- क) डीबीयू में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मॉडल।
- ख) न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- ग) परिसंपत्ति पक्ष और देयता पक्ष दोनों के लिए डिजिटल पेशकशों के लिए भविष्य का रोड मैप।
- घ) डीबीयू के प्रदर्शन को मापने के लिए अपनाए जाने वाले मेट्रिक्स।
- ङ) डीबीयू के कामकाज की निगरानी करना।

च) साइबर सुरक्षा जागरूकता।

(3) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) के सफल कार्यान्वयन और स्थापना के लिए सुझावों और फीडबैक पर कार्य समूह और आरबीआई द्वारा गठित समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।

ट. ऑनलाईन धोखाधड़ी

4.33 ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती संख्याओं के आलोक में समिति ने इनको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया, इसके बारे में निम्नलिखित उत्तर दिया था:-

"भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई, 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से ग्राहकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए कदम शामिल हैं। दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण
- (ii) ग्राहकों द्वारा बैंकों को अनाधिकृत लेन-देन की सूचना देना
- (iii) ग्राहक की सीमित देयता
- (iv) ग्राहक की शून्य देयता/सीमित देयता के लिए वापसी की समय-सीमा
- (v) ग्राहक संरक्षण के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति
- (vi) साक्ष्य का दबाव बैंकों पर
- (vii) सूचना और निगरानी अपेक्षाएं

ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने बैंकों की शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ और बेहतर बनाने के संबंध में बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढीकरण पर 27 जनवरी, 2021 को एक परिपत्र भी जारी किया है।

भाग-दो
टिप्पणियाँ/सिफारिश

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)

1. समिति बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों को यथार्थवादी रूप से तैयार करने और आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर देती रही है। बजट तैयार करने में नोडल विभाग होने के नाते आर्थिक मामले विभाग से बजटीय आवंटन करते समय अपेक्षित वित्तीय मानदंडों का पालन करने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार से यह विभाग यथार्थवादी अनुमान तैयार करने और स्वीकृत धन का इष्टतम उपयोग करने में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए रोल मॉडल बनने का प्रयास करता है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 में 99549.53 करोड़ रुपये ब.आ. को बड़े पैमाने पर कम करके संशोधित अनुमान के स्तर पर 55168.83 करोड़ दिया गया था अर्थात् इसमें 44380.70 करोड़ रुपये की भारी कमी की गई। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निधियों में कमी के लिए बताए गए मुख्य कारणों में से इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के संदर्भ में अच्छी प्रगति दिखाने वाले विभिन्न विभागों की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीईए की मांगों में किया गया एक केंद्रीकृत प्रावधान था, एक मुख्य कारण है। समिति को बताया जाता है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके पूंजीगत व्यय के उपयोग के लिए प्रावधान को तदनुसार पुनः आवंटित किया गया था। विभाग द्वारा आगे यह भी बताया गया कि 14.02.2022 की स्थितिनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक व्यय. 40149.32 करोड़ रुपए का है। समिति यह बताना चाहती है कि 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में विभाग के पास अभी भी (14.2.2022 की स्थिति के अनुसार) लगभग 15019.51 करोड़ रुपए अप्रयुक्त रह गए हैं जबकि इस वित्त वर्ष को समाप्त होने में लगभग डेढ़ महीने का ही समय बचा है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, "व्यय में अत्यधिक वृद्धि" के ऐसे पुराने उदाहरणों से साधारणतया बचना चाहिए और गत तिमाही में भारी खर्च करने के बजाय खर्च में समानता को बनाए रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था को विकास और राजकोषीय स्थिरता के पथ पर अग्रसर रखते हुए, आवंटित धन के लिए बेहतर ढंग से लक्ष्य निर्धारित करने और उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है।

2. मुख्य शीर्ष 5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश के संबंध में, समिति नोट करती है कि 2019-20 के लिए बजट अनुमान 2247.01 करोड़ रुपये था और वास्तविक रूप से 4041.34 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे वहीं वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान 13500.03 करोड़ रुपये था और वास्तविक रूप से 7482.72 करोड़ आबंटित किए गए थे। 31.12.2021 तक का वास्तविक व्यय 10750.01 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में मात्र 1219.43 करोड़ रुपये है। समिति वित्त मंत्रालय से यह अपेक्षा करती है कि वह समग्र रूप से बजटीय प्रक्रिया में असंगत आवंटन करने के ऐसे मामलों से बचे। समिति आगे इस बात पर प्रकाश डालती है कि योजनाएं/गतिविधियां पर्याप्त रूप से बनायीं/चलायीं जानी चाहिए और उन्हें व्यवस्थित रूप से पोषित किया जाना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्यों को पूर्णतया परिकल्पित तरीके से प्राप्त किया जा सके। समिति विगत वर्षों से राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में सीमित गिरावट और गुणक प्रभाव के संदर्भ में इसके अल्प प्रभाव के बारे में भी चिंतित है जिसकी परिकल्पना अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के लिए की गई थी अर्थात् ऋण निवेश के मामले में सरकारी पूंजी/इक्विटी निवेश के महत्वपूर्ण कोष का समर्थन करता है। समिति चाहती है कि इस गुणक प्रभाव को कुशलता से फलीभूत किया जाए और सरकार अधिदेशित रूप से कॉर्पस का लाभकारी उपयोग करे

आउटपुट परिणामी बजट

3. समिति सिफारिश करती है कि आउटपुट परिणामी बजट को अधिक व्यापक बनाया जाए और चालू वित्तीय वर्ष के आउटपुट और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ प्राप्त उद्देश्यों की तस्वीर स्पष्ट करने के लिए पिछले दो या अधिक वित्तीय वर्षों की उपलब्धि के आंकड़ों को इसमें शामिल किया जाए। समिति का मानना है कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पिछले साल जिस प्रयोजन के लिए धनराशि खर्च की गई थी उससे वास्तव में क्या अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

4. समिति पाती है कि वर्ष 2021-2022 के लिए लोक उद्यम विभाग के संशोधित अनुमानों को 21.81 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट में 155.19 करोड़ रुपये की वृद्धि करके 177 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बताया गया कि आवंटन में अत्यधिक वृद्धि सरकारी मंत्रालयों/विभागों और

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पास पड़ी अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण हेतु विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई कंपनी (एसपीवी) जो डीआईपीएएम द्वारा शुरू किया गया है, की स्थापना करने के प्रावधानों के कारण हुई है। समिति को आगे बताया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि एसपीवी को मंजूरी मिलने के बाद, इससे संबंधित कार्य लोक उद्यम विभाग द्वारा संभाला जाएगा। समिति का मानना है कि जोत को एक साथ रखने के लिए एसपीवी एक प्रमुख मुद्रीकरण अवसर हो सकता है और योजना का निष्पादन इसकी सफलता की कुंजी है। समिति का सुझाव है कि भूमि को केवल भूमि मूल्य बेचने की बजाय भूमि को विकसित करने के बाद उसे उंची कीमत पर बेचना चाहिए। वर्तमान वित्तीय स्थिति और सरकार के पास बड़े पैमाने पर उपलब्ध महत्वपूर्ण भूमि जोत को देखते हुए, इस प्रकार वर्धित मूल्य से अर्थव्यवस्था को आश्चर्यजनक रूप से सहायता मिलेगी। समिति महत्वपूर्ण जोतों का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक/निजी विशेषज्ञों को नियोजित करने की सिफारिश करती है। इसी तरह से, समिति लंबे समय से बंद पड़े /विनिवेशित कुछ ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक उद्यमों की भूमि के विकास/पुनर्विकास की आवश्यकता की ओर इशारा करना चाहती है जिनकी खाली पड़ी भूमि का अब अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास रखी कुछ भूमि जोतों के गतिरोध पर, समिति चाहती है कि सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाए ताकि मूल्यवान भूमि के स्वामित्व का मामला फंस कर ना रह जाए और सरकार को इससे कोई मूल्य भी प्राप्त न हो।

विनिवेश लक्ष्य

5. समिति ने 2021-22 के संशोधित अनुमान और 2022-23 के बजट अनुमान में विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य में बड़ी कमी को नोट किया है अर्थात् 2021-22 के बजट आकलन में 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को 2021-22 के संशोधित अनुमान में घटाकर 78000 करोड़ रुपये कर दिया और अब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सिर्फ 65000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समिति को बताया गया कि विशुद्ध रूप से राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए आयथार्थवादी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करना सरकार के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के शेयरों के मूल्य में गिरावट से बाजार निर्माताओं द्वारा संभावित विनिवेश की प्रत्याशा से मूल्य वृद्धि होने की संभावना है। आगे यह भी बताया गया है कि सीमित विनिवेश विंडो को देखते हुए अर्थात् 15.02.2022 की स्थितिनुसार, सभी

सूचीबद्ध सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी का मार्केट कैप (51% इक्विटी स्तर से ऊपर) केवल 155035 करोड़ रुपए का है और इस प्रकार से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संपन्न हुए, लेनदेन और वित्त वर्ष 2022-23 में चल रहे लेनदेन के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) के लिए 65000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समिति का मत है कि विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करना बजट के लिए महत्वपूर्ण है और अनुमानों से विचलित होने पर राजकोषीय गतिशीलता में मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है और इस प्रकार से समिति चाहती है कि विनिवेश अधिक विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी हो। विनिवेश लक्ष्यों के साथ समिति का मानना है कि डीआईपीएएम के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विषय पर एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करे कि उन्होंने सरकारी परिसंपत्तियों विशेषकर डीआईपीएएम का प्रबंधन किस प्रकार किया है और इस प्रतिवेदन में इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि क्या इससे मूल्य सृजन हो रहा है या इससे आम लोगों के लिए वार्षिक आधार पर मूल्य में गिरावट हुई है

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)

6. समिति ने 2022-23 में विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए पूंजीगत व्यय में 35.4% की अत्यधिक वृद्धि को नोट किया अर्थात् सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के रूप में 7.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। इसमें चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ से भारी वृद्धि हुई है। समिति मानती है कि अर्थव्यवस्था को तत्काल बढ़ावा और सहयोग देने के अलावा लोक पूंजी को बढ़ाने के इरादे से निजी क्षेत्र के निवेश में भी मदद मिलेगी, जो वर्तमान में नियंत्रण में है। समिति आशा करती है कि आवंटित निधि का उत्पादक ढंग से, कुशलतापूर्वक और पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाएगा और 7.50 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया जाएगा। समिति का मानना है कि पूंजीगत व्यय की ओर किए गए इस खर्च से न केवल निर्माण, अवसंरचना, इस्पात, सीमेंट आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे, अपितु यदि इसे हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप का निरंतर और जोरदार समर्थन मिल जाए तो यह रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिवर्धक के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है और इस प्रकार से खपत को बढ़ाता है जो अर्थव्यवस्था को एक अच्छे विकास चक्र में आगे ले जाती है।

राज्यों को निधि

7. समिति चाहती है कि केंद्र से विभिन्न घोषणाओं/योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धन का प्रवाह निर्बाध होना चाहिए क्योंकि ठोस सार्वजनिक वित्त संपोषणीय विकास की अनिवार्य शर्त है। इस संबंध में, समिति किसानों से धान की सुविधाजनक खरीद के लिए भारत सरकार से उधार लेते समय राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली समस्या को रेखांकित करना चाहेगी। अनंतिम अग्रिम राजसहायता समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, राज्य बिना किसी प्रतिपूर्ति के उक्त उधार पर बाद में ब्याज का भुगतान करते हैं। समस्या के एक व्यवस्थित समाधान तक पहुँचने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। केन्द्र सरकार और वित्त आयोग द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को निधि स्पष्ट रूप से जारी होनी चाहिए और आम लोगों के लिए इसकी जानकारी पारदर्शी रूप से सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होनी चाहिए

ब्याज का भुगतान और सरकारी ऋण

8. समिति पाती है कि बजट अनुमान पर ब्याज भुगतान (निवल आधार पर) बजट अनुमान (2021-22) के 809701.32 करोड़ रुपये से बढ़ कर 940651.02 करोड़ रुपये हो गया है इसमें 130949.7 करोड़ रुपए अर्थात् 16.17% की वृद्धि हुई है। समिति को बताया गया था कि इस उच्च प्रावधान को आरबीआई से नीतिगत कार्रवाई की प्रत्याशा के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से अधिक मात्रा में उधार लेने के कारण शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, वांछित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। समिति ब्याज भुगतानों पर लगाम लगाने के लिए जल्द से जल्द किए जाने वाले उपायों की आवश्यकता पर बल देना चाहती है। समिति महसूस करती है कि राजकोषीय घाटे को कम करना और बढ़ते ऋण-जीडीपी अनुपात को कुशलता से नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि अर्थव्यवस्था राजकोषीय स्थिरता के रास्ते पर रहे।

बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य

9. समिति पाती है कि आरंभ में बैंकिंग प्रणाली ने गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एनपीए) के संबंध में महामारी के झटके का अच्छी तरह से सामना किया है। समिति को जाता है कि आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुमानों के विपरीत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के

सकल एनपीए का अनुपात मार्च, 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2022 तक 9.80 प्रतिशत हो गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल स्तर पर एनपीए के आंकड़े 31 मार्च, 2021 को 9.11 प्रतिशत से घट कर 31 दिसंबर, 2021 तक 7.90 प्रतिशत रह गए हैं। समिति इस मामले में किसी भी शुरुआती उत्साह के प्रति आगाह करना चाहती है, क्योंकि अभी भी बैंकिंग क्षेत्र पर महामारी का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए महामारी के प्रभाव को कम करने की मुहिम के भाग के रूप में दी गई अतिरिक्त धनराशि को अवशोषित करना आवश्यक है क्योंकि एनपीए में वृद्धि की संभावना हो सकती है। समिति महसूस करती है कि अभी विवेक से काम लेने की आवश्यकता है और अनर्जक आस्तियों को कम करने तथा वसूली को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों यथा दिवाला और ऋण-शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) द्वारा क्रेडिट संस्कृति में लाया गया बदलाव, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण में संशोधन और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन (एसएआरएफआईएसआई) अधिनियम और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई और सेबी द्वारा जानबूझकर चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी पूंजी जुटाने के पूरक उपायों के रूप में सरकारी प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अनर्जक आस्तियों के समाधान पर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने जैसे उपायों को उसी जोश के साथ जारी रखा जाए।

निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक

10. समिति यह मानती है कि एक्जिम बैंक, निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगे संस्थानों के कामकाज के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। समिति की राय है कि एक्जिम बैंक को पर्याप्त रूप से क्रेडिट कौशल से लैस होना चाहिए और वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के आलोक में, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होना चाहिए ताकि अन्य देशों के साथ विशेष रूप से अफ्रीका में परियोजनाओं के वित्त पोषण में चीन जैसे अन्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके और भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण को सुगम बनाए, जो वैश्विक आकांक्षाओं वाली भारतीय कंपनियों को अलग पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)

11. समिति मानती है कि एनएबीएफआईडी की स्थापना बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए की गई है जो दीर्घकालिक, कम मार्जिन और अवसंरचना के वित्तपोषण की जोखिम भरी प्रकृति से उत्पन्न हुई है जिसके लिए 'पेशेंट' पूंजी की आवश्यकता होती है। समिति को बताया जाता है कि 20000 करोड़ रुपये इक्विटी सहायता के रूप में दिए गए हैं और अन्य 5000 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और आगे बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। समिति एनएबीएफआईडी को पर्याप्त इक्विटी पूंजी के साथ उधार लेने और अपनी बैलेंस शीट का उचित रूप से विस्तार करने तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहती है। समिति का मानना है कि जिस प्रमुख उद्देश्य के साथ विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की गई है, अर्थात् अवसंरचना वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजार का विकास तथा वित्तपोषण अवसंरचना का कारोबार करने सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहयोग देना, उसे प्राप्त करना आवश्यक है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी

12. समिति नोट करती है कि सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में एक प्रमुख प्रयास करते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डीबीयू में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खोलने की क्षमता है, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और स्थापित करने में सस्ते होंगे। समिति इस घोषणा को आगे नोट करती है कि 1.5 लाख डाकघरों में से सौ प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन होगा और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच आसान होगी और डाकघर खातों और बैंक के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होगा। खाते जो कि अंतरसंचालनीयता को सक्षम करेंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे। समिति डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में इन कदमों पर ध्यान देती है लेकिन सिफारिश करती है कि इन्हें पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए ताकि नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के शिकार न हों और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक

बैंकिंग लेनदेन से सुरक्षित रहें। जब भी पीड़ितों द्वारा इस तरह की डिजिटल धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है, तो त्वरित निवारण का दायित्व संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान पर होना चाहिए और ग्राहक को शिकायत निवारण के लिए एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। आरबीआई के तत्वावधान में बैंकिंग लोकपाल को इस संबंध में, एक सक्रिय और ग्राहक-अनुकूल भूमिका निभानी चाहिए।

13. समिति आगे चाहती है कि बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा देने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाए और प्रयोक्ताओं में विश्वास पैदा किया जाए क्योंकि आबादी के एक बड़े हिस्से में डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को स्वीकार करने में प्रारंभिक अवरोध और आशंकाएं विद्यमान हैं। प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम से कम किया जा सके और ऑनलाइन दुर्घटना के मामले में नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों, संगोष्ठियों, पोस्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करके पर्याप्त रूप से जागरूक और संसूचित करने की आवश्यकता है ताकि ऐसा तरीका विकसित किया जाए जिससे उनके दायित्व को कम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में सुरक्षित है।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22)की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक
समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा

सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री मनीष तिवारी
11. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. डॉ. अमर पटनायक
16. श्री महेश पोद्दार
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:-

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में समिति का यह चालीसवां प्रतिवेदन

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में समिति का यह इकतालीसवां प्रतिवेदन

(तीन) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवां प्रतिवेदन

(चार) योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में समिति का यह तैंतालीसवां प्रतिवेदन

(पांच) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन

3. समिति ने कुछ चर्चा के पश्चात् अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में चवालीस से चवालीस प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021' पर प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना स्थगित कर दिया, क्योंकि सदस्यों ने विधेयक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।